

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला बालाघाट**  
**(पीठासीन अधिकारी-अमनदीपसिंह छाबडा)**

आप.प्रक.क्रमांक-1192 / 2014

संस्थित दिनांक-09.12.2014

फाई. क्र.234503009842014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — **अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

बसन्त उइके पिता मेहरसिंह उइके, उम्र-44 वर्ष,  
निवासी नेवरगांव थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट

— — — **आरोपी**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक 06/11/2017 को घोषित)**

**01—** अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-458, 354, 506 भाग-2 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक-13.09.2014 को रात्रि 11:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत नेवरगांव में फरियादी कु0 प्रीति मेरावी के आवासीय मकान में सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व फरियादी पर हमला कारित करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर फरियादी जो एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया।

**02—** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि कु0 प्रीति मेरावी ने थाना आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 13.09.14 को रात्रि 11:30 बजे वह पढाई करके अकेले कमरे में सो रही थी, तभी ग्राम नेवरगांव दर्जीटोला का बसन्त उइके आया और उसके सीधे हाथ को पकडा एवं मुँह एवं शरीर पर हाथ फेरा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया।

आरोपी बसंत उईके तलाश पतासाजी कर पूछताछ की गई जो जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण सदर में 07 वर्ष से कम की सजा होने से माननीय न्यायालय से प्राप्त दिशा-निर्देश के तहत आरोपी को धारा 41(1) जा.फौ. का नोटिस तामील कर न्यायालय उपस्थित होने पाबंद किया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 142/14 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

**03—** आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-458, 354, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. या आरोपी ने घटना दिनांक-13.09.2014 को रात्रि 11:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत नेवरगांव में फरियादी कु0 प्रीति मेरावी के आवासीय मकान में सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व फरियादी पर हमला कारित करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया कु0 प्रीति मेरावी जो एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया कु0 प्रीति मेरावी को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**-:विवेचना एवं निष्कर्ष:-****05- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 से 03**

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**06-** साक्षी प्रीति अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना वर्ष 2014 के रात्रि करीब 11:30 बजे उसके घर ग्राम नेवरगांव की है। घटना के समय वह घर पर अपने कमरे में अकेली सो रही थी, तभी अचानक उसके चेहरे पर किसी के हाथ फेरने के स्पर्श से उसकी नींद खुल गई, तब उसने देखा कि आरोपी उसके पास बैठा हुआ था। इसके बाद उसने आवाज दी, तब उसकी मम्मी आई, जिसे उसने घटना बताई। उसकी माँ द्वारा आपत्ति करने पर आरोपी ने विवाद किया और उसे जान से मारने की धमकी देकर आरोपी घर से चला गया। फिर उसने घटना के अगले दिन थाना मलाजखंड में रिपोर्ट लिखाई थी, जो प्र.पी-01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके सोने के दौरान आरोपी बसंत ने उसके हाथ को पकड़ लिया था, फिर बसंत ने दोबारा उसके चेहरे पर हाथ फेरा था, आरोपी ने उसकी माँ से कहा था कि वह उसे जीने नहीं देगा।

**07-** साक्षी प्रीति अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक के दो दिन बाद घटना की रिपोर्ट करने थाने गई थी। साक्षी के अनुसार एक दिन बाद गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके गांव से मलाजखंड की दूरी लगभग तीन किलोमीटर है, उसके गांव से थाना आने में लगभग आधा घंटे का समय लगता है, उसके घर के पास गोमतीबाई का भी घर है, यदि वह अपने घर पर बातचीत करती है तो गोमतीबाई के घर तक आवाज जाती है। साक्षी ने इस बात की उसे जानकारी न होना व्यक्त किया कि चैनसिंह एवं ज्ञानाबाई का प्रकरण व्यवहार न्यायालय में चल

रहा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि चैनसिंह उसके रिश्ते में दादा है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि चैनसिंह उनके साथ निवास करता है।

**08—** साक्षी प्रीति अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उनका घर 5-6 कमरे का है, वह घटना दिनांक को अपने कमरे में सो रही थी, वह दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाकर सोई थी, यदि दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा दी जाये, तो किसी अन्य व्यक्ति का अंदर आना संभव नहीं है। साक्षी के अनुसार आरोपी दरवाजे के जोड़ को तोड़कर अंदर आया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि दरवाजा तोड़ने वाली बात उसने पुलिस को बता दी थी, यदि उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में उक्त संबंध में लेख न हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके शरीर पर खरोंच एवं छेड़छाड़ के कोई निशान नहीं थे। वह स्कूल पढ़ती है। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह घटना दिनांक के बाद भी बिना डर के स्कूल आना जाना करती है, उसे आरोपी से कोई भय, डर या क्षोभ कारित नहीं होता है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि ज्ञानाबाई एवं चैनसिंह के मध्य जमीन का विवाद चल रहा है, जिसमें आरोपी ज्ञानाबाई का पक्ष ले रहा है, इस कारण उन लोगों ने उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

**09—** साक्षी प्रीति अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि इसी कारण से आरोपी को फंसाने के लिये झूठी रिपोर्ट थाने में की है, घटना रात्रि के समय की है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि वह अपने कमरे में लाइट बंद करके सो रही थी और कमरे में अंधेरा था। साक्षी के अनुसार आरोपी ने कमरे की लाइट का ग्रीप निकाल दिया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने लाइट निकालने वाली बात पुलिस को नहीं बताई थी, घटना के संबंध में उसने अपने पड़ोसी गोमतीबाई को नहीं बताया था। साक्षी के अनुसार उसकी मम्मी ने बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी सामाजिक व्यक्ति है जो कि गांव के सामाजिक मीटिंग में आना-जाना करता है, घटना दिनांक 13.09.2014 की है तथा उसने थाने में दिनांक 15.09.2014 को रिपोर्ट

लिखाई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने सोच-समझकर घटना के दो दिन बाद आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक को कमरे में अंधेरा था।

**10—** साक्षी बैसाखिनबाई अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो तीन वर्ष पूर्व रात्रि के समय ग्राम नेवरगांव की है। घटना के समय उसकी लड़की अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके चिल्लाने की आवाज पर वह उसके कमरे में गई, तो उसकी लड़की ने बताया कि किसी ने उसके मुँह में हाथ फेरा था, तभी उसने देखा कि वहाँ लड़की के खाट के पास आरोपी था। उसने उसे चले जाने को कहा तो उसने जान से मारने की धमकी दी और दरवाजे पर जाकर बैठ गया। उनके द्वारा आपत्ति करने पर फिर आरोपी अपने घर चला गया। बाद में उसने मलाजखंड जाकर घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

**11—** साक्षी बैसाखिनबाई अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से बोलना-चालना बंद है, घटना दिनांक को अंधेरा था, उनका मकान ढहेल वाला है, वह ढहेल में फाटक लगाकर रखते हैं, ज्ञानाबाई एवं रामसिंह के जमीन का केस व्यवहार न्यायालय में चल रहा है, आरोपी का ज्ञानाबाई के घर आना जाना होता है, इस कारण से वह लोग आरोपी से रंजिश रखते हैं, घटना के संबंध में उसने अपनी पड़ौसी गोमतीबाई एवं अन्य पड़ोसियों को नहीं बताई थी, घटना के दो दिन बाद घटना की रिपोर्ट करने गई थी, फरियादी रात को दरवाजे की कुंडी लगाकर सो रही थी, घटना के बाद भी वह बिना डर के गांव एवं खेत-बाड़ी में आना-जाना करते हैं और उन्हें आरोपी से डर नहीं लगता है तथा अंधेरे में आरोपी को नहीं पहचाने थे। साक्षी के कथन अनुसार आरोपी ने अपना नाम बताया, तब उसने उसे पहचाना था।



**12—** साक्षी शशि अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। फरियादी प्रीति उसकी बहन है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो वर्ष पूर्व रात्रि के समय ग्राम नेवरगांव की है। घटना के समय उसकी दीदी प्रीति अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके चिल्लाने की आवाज पर वह, मम्मी और पापा उसके कमरे में गये तो उसकी दीदी ने बताया कि किसी ने उसके मुँह में हाथ फेरा था, तभी उसने देखा कि उसकी दीदी के खाट के पास आरोपी था। उन लोगों ने उसे चले जाने को कहा तो उसने जान से मारने की धमकी दी और दरवाजे पर जाकर बैठ गया। उनके द्वारा आपत्ति करने पर फिर आरोपी अपने घर चला गया। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे।

**13—** साक्षी शशि अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह दर्जीटोला रहती है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि वह पढ़ाई करती है। साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उन्होंने घटना की बात आस-पड़ौस के लोगों को नहीं बताये थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि वह चैनसिंह एवं ज्ञानाबाई को जानती है तथा आरोपी का ज्ञानाबाई के यहाँ उठना-बैठना होता है। उसे जानकारी नहीं है कि ज्ञानाबाई एवं चैनसिंह के मध्य सिविल प्रकरण चल रहा है। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक को अंधेरा था।

**14—** साक्षी माथू अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना कुछ वर्ष पुरानी रात्रि करीब 12:00 बजे उसके घर ग्राम नेवरगांव की है। घटना के समय उसकी लड़की अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके चिल्लाने की आवाज पर वह उसके कमरे में गया, तभी उसने देखा कि वहाँ लड़की के खाट के पास आरोपी था। उसने उसे चले जाने को कहा तो उसने जान से मारने की धमकी दी और दरवाजे पर जाकर बैठ गया। उनके द्वारा आपत्ति करने पर फिर आरोपी अपने घर चला गया। बाद में उन्होंने मलाजखंड जाकर घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन

द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसकी लड़की ने उसे बताया था कि आरोपी ने उसके मुँह पर हाथ फेरा था।

**15—** साक्षी माथू अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसका मकान 5-6 कमरे का है, उनका मकान ढहेल वाला है, वह ढहेल में फाटक लगाकर रखते थे। उसे मालूम नहीं है कि ज्ञानाबाई एवं चैनसिंह के जमीन का केस व्यवहार न्यायालय में चल रहा है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी का ज्ञानाबाई के घर आना जाना होता है, घटना दिनांक को उसकी लड़की कमरे में दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाकर सोई थी, उस समय अंधेरा था, थाने में सूचना दिनांक 15.09.2016 को दी गई थी, जबकि घटना दिनांक 13.09.2015 की है, आरोपी गांव का सामाजिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो गांव की मीटिंग में आना-जाना करता है, उसकी आरोपी से बोलचाल बंद है, गोमतीबाई उसके पड़ौस में रहती है और उसने उसे घटना की जानकारी नहीं दी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी उनके घर में नहीं आया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उनके परिवार के ही कथन लिये थे तथा दूसरे स्वतंत्र साक्षी के कथन नहीं लिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे।

**16—** साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.04 ने कथन किया है कि उपनिरीक्षक हरिसिंह ठाकुर दिनांक 15.09.2014 को थाना मलाजखंड में पदस्थ थे, जिनके साथ कार्य करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर से परिचित है। उक्त दिनांक को उपनिरीक्षक हरिसिंह ठाकुर द्वारा अपराध क्रमांक 141/14 अंतर्गत धारा-456, 354, 506 भा.द.सं. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी-02 प्रार्थी प्रीति मेरावी की निशादेही पर तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर हरिसिंह ठाकुर के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही श्री ठाकुर द्वारा प्रार्थी प्रीति, गवाह शशि, बैसाखिनबाई, माथुसिंह के

कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। श्री ठाकुर द्वारा आरोपी को गवाह हंशलाल तथा मेहरसिंह के समक्ष धारा-41 द.प्र.सं. का नोटिस दिया गया था, जो प्रपी.36 है, जिसके ए से ए भाग पर श्री ठाकुर के हस्ताक्षर हैं।

**17—** साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि मौका-नक्शा प्रपी-02 पर प्रार्थिया प्रीति के हस्ताक्षर नहीं हैं, श्री ठाकुर द्वारा प्रकरण में सिर्फ प्रार्थिया के परिवार के सदस्यगण के बयान लेखबद्ध किये गये हैं, मौका-नक्शा प्रपी-02 में श्री ठाकुर द्वारा गोमतीबाई का मकान दर्शाया गया है, परन्तु गोमतीबाई के कथन लेख नहीं किये गये हैं, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उपनिरीक्षक ठाकुर द्वारा मौका-नक्शा प्रपी-02 प्रार्थिया की निशादेही पर तैयार न कर थाने में बैठकर अपने मन से तैयार किया गया था।

**18—** प्रकरण में परिवादी प्रीति अ.सा.01, बैसाखिनबाई अ.सा.02 तथा माथू अ.सा.05 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि घटना के समय परिवादी अपने कमरे के दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाकर सोई थी। परिवादी प्रीति अ.सा.01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया गया है कि कुंडी लगाने पर बाहर से व्यक्ति का अंदर आना संभव नहीं। तत्पश्चात परिवादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त दरवाजे के जोड़ को तोड़कर अंदर आया था। उक्त तथ्य का संपूर्ण प्रकरण में अभाव है, क्योंकि घटनास्थल पर मौजूद परिवादी के परिजनों ने न तो अपने न्यायालयीन कथन और ना ही पुलिस कथन में उक्त तथ्य को प्रकट किया और स्वयं परिवादी ने भी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 और पुलिस कथन प्र.डी.01 में उक्त संबंध में कथन नहीं किये हैं।

**19—** परिवादी कु0 प्रीति अ.सा.01 के अनुसार घटना के समय आरोपी द्वारा कमरे की लाईट का ग्रिप निकाल दिया गया था और उक्त बात उसने पुलिस को नहीं बताई थी। परिवादी द्वारा यह भी स्वीकार



किया गया है कि उसके घर के पास गोमतीबाई का घर है तथा घर पर बातचीत की आवाज गोमतीबाई के घर तक जाती है। मौका नक्शा प्र.पी.02 से घटनास्थल के पास गोमतीबाई के घर होने की पुष्टि होती है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा गोमतीबाई के कथन नहीं कराये गये हैं और ना ही उक्त संबंध में कोई स्पष्टीकरण है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग 36 घंटे के पश्चात लेख की गई है, जबकि घटनास्थल से पुलिस थाने की दूरी तीन कि.मी. है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में विलंब का कारण डर लेख किया गया है, तथापि प्रकरण में स्वयं परिवादी प्रीति अ.सा.01 तथा बैसाखिनबाई अ.सा.02 द्वारा स्वीकार किया गया है कि घटना के बाद भी उनके द्वारा सामान्य जीवन व्यतीत किया गया है और उन्हें अभियुक्त से कोई भय नहीं होता है। परिवादी प्रीति अ.सा.01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया गया है कि जमीन विवाद के कारण अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट की गई है तथा बैसाखिनबाई अ.सा.02 तथा माथू अ.सा.05 द्वारा अभियुक्त से विवाद स्वीकृत किया गया है।

**20—** बचाव पक्ष द्वारा तत्संबंध में व्यवहार वाद क्रमांक 18ए/15 के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। यद्यपि सामान्यतः यह उचित प्रतीत नहीं होता कि तृतीय पक्ष के संपत्ति विवाद में नवयुवती द्वारा लज्जा भंग के मिथ्या आरोप द्वारा अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किया गया हो, तथापि प्रकरण की साक्ष्य संपूर्ण घटना को संदिग्ध बना देती है, क्योंकि यह संभव प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्त ने दरवाजे के जोड़ को तोड़कर परिवादी के कमरे में प्रवेश किया हो और परिवादी तथा घर में उपस्थित अन्य सदस्यों को आभास ही न हुआ हो। तत्पश्चात बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया जाना और किसी स्वतंत्र साक्षी का अभाव घटना के संबंध में युक्तियुक्त संदेह करता है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

**21—** फलतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि फरियादी कु0 प्रीति मेरावी के आवासीय मकान में सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व फरियादी पर हमला कारित करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर फरियादी

जो एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्त बसंत उइके को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-458, 354, 506 भाग-2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

**22-** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**23-** अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

**24-** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही / -  
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सही / -  
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट